ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर,176048
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जाहू में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अनुराधा शर्मा	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति माया देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री परशोतम राम	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में) (₹)
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	45.48
2	7.1	पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.18
3	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करना।	0.11
4	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना।	0.97
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.88
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक व गलत भुगतान करना।	0.05
7	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक व गलत भुगतान करना।	0.09
8	9.3	मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य हेतु अधिक व गलत भुगतान करना।	0.05
9	9.4	मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मस्ट्रोल में अनुपस्थिति के बावजूद मजदूरी के रूप में गलत भुगतान करना	0.03
10	9.5	निर्माण सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज न करना।	1.97
11	9.6	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.79
12	9.7	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करना	3.59

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जो कि चिंताजनक है। अत: ग्राम पंचायत

इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों का विवरण निम्नानुसार है :-

(i)विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2007 से 11/2010" तक

(पत्र संख्या पीसीएच–एचए(5)सी(15)144/81–19580 दिनांक 12.08.2015 के सन्दर्भ में)

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति
1	3	अनिर्णीत
2	4	अनिर्णीत
3	5	अनिर्णीत
4	6	अनिर्णीत
5	7	अनिर्णीत
6	8	अनिर्णीत

(ii)अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2019 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
7	7	अनिर्णीत।	
8	8	अनिर्णीत।	
9	11	अनिर्णीत।	
10	12	अनिर्णीत।	
11	13	अनिर्णीत।	
12	15	अनिर्णीत।	
13	21	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
14	22	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल असिस्टेंट) द्वारा दिनांक 20.09.2024 से 25.09.2024 तक ग्राम पंचायत जाहू, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	10/2023	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 384/2024 दिनांक 24/09/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत जाहू द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, जाहू, हमीरपुर, DD NO –KAA/265536 दिनांक 27.09.2024 द्वारा ग्राम पंचायत जाहू द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत जाहू द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनांक 20.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से

31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (8) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत (Online), अनुदान (प्लानिंग) (Online), स्वच्छ भारत मिशन(Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), हरियाली(offline), 14वें वित्तायोग (Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज , जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2022-23	2690558.40	585803.00	3276361.40	396206.00	2880155.40
2023-24	2880155.4	951934.24	3832089.64	629726.00	**3202363.64**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2022-23	6291227.10	6604698.09	12895925.19	6862689.94	6033235.25
2023-24	6033235.25	7550601.97	13583837.22	9035725.20	**4548112.02**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (2+3)	व्यय	अंतिम शेष (4-5)
1	2	3	4	5	7
2022-23	8981785.50	7190501.09	16172286.59	7258895.94	8913390.65
2023-24	8913390.65	8502536.21	17415926.86	9665451.20	**7750475.66**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	KCCB Jahu	20123046957	3202363.64
	अनुदान (प्लानिंग)	KCCB Jahu	20123016309	1079159.74
	स्वच्छ भारत मिशन	PNB Jahu	2222000109150250	0.00
	14th FC	PNB Jahu	22222000109040400	95894.28
	15th FC	PNB Jahu	2222000109162660	3373058.00
2		**योग**		**7750475.66**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)		0.00
		योग (1+2)		**7750475.66**

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **"क"** का अंतिम शेष	3202363.64
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता **"ख"** का अंतिम शेष	4548112.02
3)	दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खता **"क" व "ख"** का कुल अंतिम शेष (1+2)	**7750475.66**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता **"क" व "ख"** का कुल अंतिम शेष	7750475.66
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
6)	योग (4+5)	**7750475.66**
7)	**अन्तर (3-6)**	**0.00**

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा

पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनाँक 20.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० पं० रा० (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹45.48 लाख का उपयोग न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनाँक 19.09.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"1")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹4548112.02/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनाँक 19.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनाँक 20.09.2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनाँक 20.09.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान

का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे |

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.18 लाख वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367 दिनाँक 20.09.2024 के क्रम संख्या 6 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "2")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹17640/-** की वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	780	360	280800	280800	277880	2920
2023-24	2920	785	360	282600	285520	267880	**17640**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.002/- लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/-

प्रति विवाह तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹200**/- की वसूली नहीं की गई थी।

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 372/2024 दिनांक 20.09.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली हेतु **रसीद संख्या (320718) दिनांक 23/09/2024** को काट ली गई है तथा उक्त राशि के जमा व इन्द्राज बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि का जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या- SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹11000**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "3"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 376/2024 दिनांक 23.09.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹11000/- जिसे राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. **व्यय**

8.1 आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹ 0.97 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD & PR)-DB-Genral/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुन: दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं (कॉन्ट्रैक्टर्स/वेंडर्स) से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के दृष्टिगत अब से रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "4")** अनुसार राशि ₹97437/- का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों कि स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्तिथि स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 378/2024 दिनांक 24/09/2024 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि ₹97437/- रॉयल्टी की कटौती बिलों से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं "| प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान नहीं किया जाना अपेक्षित था |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय समय पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.88 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **(परिशिष्ट "5")** अनुसार राशि **₹4428111/-** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹88562.22/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 379/2024 दिनांक 24/09/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 24 दिनांक 24.09.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹**4428111**/- की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती **₹88562.22/-** GST,TDS की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्तिथि में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के प्रावधान- The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की** अवहेलना करते हुए सलंग्न **(परिशिष्ट "6") अनुसार** राशि **₹4899/-** का अधिक भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 380/2024 दिनांक 24/09/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹4899/-** हेतु **रसीद संख्या (320720, 320721) दिनांक 30.09.2024** को काट ली गई है तथा उक्त राशि के जमा व इन्द्राज को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों की अधिक भुगतान राशि के सम्बन्धित निधि में जमा व इन्द्राज से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

Himachal Pradesh public work department specifications under Para 2.1.2.13 Coarse and fine aggregates supplied at site of works shall be paid for in cubic meters and actual volume of the aggregates to be paid for shall

be computed after deducting the 12.5 percentage from the volume computed by stack measurements.

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/23 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु सलंग्र **(परिशिष्ट "7") अनुसार** राशि **₹69750/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹8718.75/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 381/2024 दिनांक 24.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 24 दिनांक 25/09/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि " उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर **₹8718.75/-**-रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा ।

अत: अंकेक्षण द्वारा दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) सम्बन्धी कटौती की अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे सभी भुगतानों को नियमानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापना उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.3 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्यों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा ₹0.05 लाख का पेवर ब्लॉक्स के रूप में अधिक भुगतान करना:-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/23 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **पेवर ब्लॉक्स** हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि **₹4998/-का** अधिक व गलत भुगतान किया गया था :-

Sanction Amount- 272471/-			
Total Expenditure Amount – 262193/-			
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (वर्ग मीटर/घन मीटर)**	**पेवर / ब्लॉक्स**
Mb-5987 (40,46,47, 52,53,57,58)	Providing and laying heavy duty precast c.c interlock paver/blocks	151.60	5306 (151.60 x 35)
ग्राम पंचायत द्वारा बिल न० (723,725) रजिस्टर पृष्ठ न०(NA) जारी / खपत मात्रा			**5600**
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			294
क्रय दर			17/- प्रति पेवर
अधिक भुगतान			4998
कुल अधिक भुगतान (294 x 17)			**4998/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385/2024 दिनांक 24/09/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों के अधिक भुगतान राशि ₹4998/- हेतु **रसीद संख्या (320723) दिनांक 30.09.2024** को काट ली गई है तथा उक्त राशि के जमा व इन्द्राज को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण द्वारा दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रिक्तियां (voids) की कटौती की अधिक भुगतान राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे सभी भुगतानों को नियमानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापन उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।

9.4 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मस्ट्रोल में अनुपस्थिति के बावजूद मजदूरी के रूप में राशि ₹0.03 लाख का गलत भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 03/2023 व 02/2024 में करवाए गए निर्माण कार्यों के मस्ट्रोलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य -Land development uttam raj s/o ram dass ward no 4 हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरी के रूप में **₹3360/-** का गलत भुगतान किया गया था, मस्ट्रोल संख्या 5832 के अंकेक्षण पर पाया गया कि लाभार्थी श्रीमति माया देवी पत्नी प्रेम चन्द की सभी दिनों में अनुपस्थिति दर्ज थी फिर भी लाभार्थी को भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 387/2024 दिनांक 24/09/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25/09/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य के गलत भुगतान राशि ₹3360/- हेतु **रसीद संख्या (320719) दिनांक 23.09.2024** को काट ली गई है तथा उक्त राशि के जमा व इन्द्राज को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण द्वारा दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत गलत भुगतान राशि ₹3360/- की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाकर इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

9.5 राशि ₹1.97 लाख सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 03/2023 व 02/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "8")** राशि ₹197726/- की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थीं।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 383/2024 दिनांक 24/09/2024 द्वारा सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में ₹197726/- के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का पारदर्शी इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है |

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षणावधि में सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित पारदर्शी प्रविष्टियाँ नियमानुसार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत की जायें |

9.6 औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री राशि ₹ 3.79 लाख का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित मास 03/2023 व 02/2024 में सलंग्न **(परिशिष्ट "9")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹379437/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 382/2024 दिनांक 24.09.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 25.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित

₹379437/-की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं" । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9.7 उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बना कर राशि ₹3.59 लाख भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ढुलाई, टेलीफोन बिल, दरवाजे और खिडकियों के व्यय हेतु **सलंग्न (परिशिष्ट "10")** अनुसार राशि **₹358504/-** का भुगतान किया गया था । लेकिन आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48,और 61 की अवहेलना है ।

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 386/2024 दिनांक 24.09.2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र 24/2024 दिनांक 25.09.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा ।

अतः उक्त आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त करना सुनिश्चित किये जाएँ व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुसरण करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपतिजनक है, क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूर्णता के अभाव के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन, दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता ।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	बजट प्राकलन	11	37
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रख-रखाव न करना	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
11	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 368/2024 दिनांक 20.09.2024 द्वारा पंचायत को इस बारे अवगत करवाया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 23 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को बना लिया जाएगा और अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए|

11 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनांक 20.09.2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में पत्र संख्या 22 दिनांक 25.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुतउतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको पुनः परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

02 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/प्रति

5817 – 5821

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)71 / 2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का०/प्रति

Annaxure '1' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत -जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	2690558.40	585803.00	3276361.40	396206.00	2880155.40
2	2023-24	2880155.4	951934.24	3832089.64	629726.00	**3202363.64**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	6291227.10	6604698.09	12895925.19	6862689.94	6033235.25
2	2023-24	6033235.25	7550601.97	13583837.22	9035725.20	**4548112.02**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	8981785.50	7190501.09	16172286.59	7258895.94	8913390.65
2	2023-24	8913390.65	8502536.21	17415926.86	9665451.20	**7750475.66**

Diff	0.00

Secretary
Gram Panchyat Janu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग) (Online) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	624456.44	1302730.00	1927186.44	765394.70	1161791.74
2	2023-24	1161791.74	1021117.00	2182908.74	1103749.00	**1079159.74**

स्वच्छ भारत मिशन (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	283003.88	2531.00	285534.88	284821.64	713.24
2	2023-24	713.24	8.00	721.24	721.24	**0.00**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2023-24	0.00	241937.00	241937.00	241937.00	**0.00**

हरियाली(Water shed) (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	357451.00	357451.00	357451.00	0.00
2	2023-24	0.00	1626880.00	1626880.00	1626880.00	**0.00**

14वें वित्तायोग(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2917672.78	72299.00	2989971.78	1755342.51	1234629.27
2	2023-24	1234629.27	31378.00	1266007.27	1170112.99	**95894.28**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2466094.00	2613686.00	5079780.00	1443679.00	3636101.00
2	2023-24	3636101.00	802126.00	4438227.00	1065169.00	**3373058.00**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	2256001.09	2256001.09	2256001.09	0.00
2	2023-24	0.00	3827155.97	3827155.97	3827155.97	**0.00**

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

Annaxure 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पचायत जाहू, विकास खड भोरज, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक जल शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	780	360	280800	280800	277880	2920
2023-24	2920	785	360	282600	285520	267880	**17640**

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

ANNAXURE 3 पैरा संख्या 7.3 में सदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर,							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Ankush Syal	20-02-2022	13-05-2022	680735	400	400	0
2	Prveen Sharma	20-04-2022	31-05-2022	680736	400	400	0
3	Ankush Sharma	21-06-2022	25-07-2022	680740	400	200	200
4	Sanny kumar	25-07-2022	08/08/2022	680744	200	200	0
5	Vijay kumar	13-06-2022	08/08/2022	680745	400	400	0
6	Sanjeev kumar	08/07/2022	19/09/2022	650751	400	400	0
7	kamal kumar	27-09-2022	14-10-2022	680752	200	200	0
8	Sachin Sharma	27-09-2022	14-10-2022	680753	200	200	0
9	Rakesh bhatiya	12/12/2022	16-12-2022	680756	200	200	0
10	Sourbh prkash	02/12/2022	23-12-2022	680758	200	200	0
11	Vikirant ray	04/12/2022	23-12-2022	680759	200	200	0
12	dheerj Thakur	04/12/2022	23-12-2022	680760	200	200	0
13	Dinesh Kumar (BPL)	08/12/2022	10/01/2023	680762	200	200	0
14	Deep kumar	04/02/2023	15-02-2023	680766	200	200	0
15	Nishant verma	10/02/2023	24-02-2023	680768	200	200	0
16	Mukesh kumar kalia	07-02-2-23	24-02-2023	680769	200	200	0
17	Dinesh thakur	16-02-2023	03/10/2023	680779	200	200	0
18	prvej khan	26-03-2023	15-03-2023	680781	200	200	0
19	sourbh	06/02/2023	28-03-2023	680784	400	400	0
20	Vikash kumar	21-05-2023	02/06/2023	681787	200	200	0
21	Suneel kumar kalia	04/07/2023	02/07/2023	681788	400	400	0
22	Abhinav sharma	03/05/2023	02/06/2023	681789	200	200	0
23	Gourv chandel	15-05-2023	30-06-2023	681795	400	400	0
24	Abhishek	27-06-2023	11/07/2023	681798	200	200	0
25	Ankush aanand	23-06-2023	16-08-2023	286905	400	400	0
26	Ashok kumar	25-09-2023	23-10-2023	286910	200	200	0
27	chandan verma	24-09-2023	26-10-2023	286912	400	400	0
28	Bhagban DASS	23-10-2023	21-11-2023	286920	200	200	0
29	Sanny sehgal	20-10-2023	29-11-2023	286924	400	400	0
30	Aman sharma	19-11-2023	06/12/2023	286925	200	200	0
31	Vivek kumar	07/11/2023	06/12/2023	286926	200	200	0
32	Akshant anand	26-10-2023	08/12/2023	286927	400	400	0
33	Vishal kumar	27-11-2023	18/12/2023	286929	200	200	0
34	SHUBHM	29-11-2023	26/12/2023	286932	200	200	0
35	Rajesh kumar	29-11-2023	27-12-2023	286934	200	200	0
36	Abhinay sharma	22-11-2023	18-01-2024	286938	400	400	0
37	Mohit sharma	30-01-2024	27-02-24	286942	200	200	0
38	Rohit kumar	19-02-2024	06/03/2024	286945	200	200	0
39	Ajay kumar	26-112022	06/03/2024	286946	400	400	0
40	Vishal kumar (BPL)	14-02-2024	15-03-2024	286948	200	200	0
41	Sahil sharma	Donation	01/03/2024	286935	200	200	0
	TOTAL				11000	10800	200

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

Annaxure 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	Mnrega	C/o R/wall Bimla Devi w/o Gian chand land-5		100 (15/08/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	5.66	1.52	8.6	80	688.00
						Sand	2.86	1.62	4.63	80	370.00
2	Mnrega	C/o R/wall Naresh Kumar s/o Amar Singh land-5		123 (02/01/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	3.56	1.52	5.41	80	433.00
						Sand	4.24	1.62	6.86	80	549.00
3	Mnrega	C/o R/wall Bhagi Rath s/o Damodar Dass land-8		130(02/02/2023	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	4.55	1.52	6.91	80	553.00
						Sand	4.24	1.62	6.86	80	549.00
4	Mnrega	C/o R/wall Krishan Chand s/o Jindu Ram land-8		129(01/02/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	3.56	1.52	5.41	80	433.00
						Sand	4.24	1.62	6.86	80	549.00
5	Mnrega	C/o Sampark marg Banshi Ram H./to Babdi towards-1		057(01/04/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	15.29	1.52	23.24	80	1859.00
						Sand	16.42	1.62	26.6	80	2128.00
6	Mnrega	C/o Sampark marg School Jahu to Shamshanghat-5		097(05/08/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	10.3	1.52	15.65	80	1252.00
7	Mnrega	C/o R/wall Vijay Kumari w/o Shakti Chand land-5		043(05/12/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	5.66	1.52	8.6	80	688.00
						Sand	3.56	1.62	5.76	80	461.00
8	Mnrega	C/o R/wall Ram Lal s/o Durga Dass land -8		055(23/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	6.79	1.52	10.32	80	826.00
9	Mnrega	C/o R/wall Amrit Lal s/o Dhani Ram land -9		046(23/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.1	1.52	10.72	80	858.00
						Sand	5.66	1.62	9.16	80	733.00
10	Mnrega	C/o Water tank Meena Devi w/o Dev Raj land-5		042(23/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.47	1.52	11.35	80	908.00
						Sand	5.66	1.62	9.16	80	733.00
11	Mnrega	C/o Water tank Subhash Chand s/o Tulsi Ram land -6		033(23/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.08	1.52	10.76	80	861.00
						Sand	5.66	1.62	9.16	80	733.00
12	Mnrega	C/o Well Ramesh Chand s/o Dandu Ram land-6		181(25/10/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Sand	9.14	1.62	14.8	80	1184.00
13	Mnrega	C/o R/wall Rajesh Kumar s/o Chaman Lal land-5		210(29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	5.66	1.52	8.6	80	688.00
						Sand	5.04	1.62	8.16	80	653.00

24

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

25

14	Mnrega	C/o R/wall Bhushan Sharma s/o Basnta Ram land-1		217 (29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	5.66	1.52	8.5	80	688.00
						Sand	3.82	1.62	6.18	80	595.00
15	Mnrega	C/o Water tank Kali Dass s/o Dalumba Ram land -9		218 (29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.25	1.52	11.02	80	882.00
16	Mnrega	C/o Water tank Pyare Lal s/o Bakshi Ram land -9		131 (25/10/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.73	1.52	11.74	80	939.00
17	Mnrega	C/o Water tank Som Nath s/o Lalman land -1		213 (29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.19	1.52	10.92	80	874.00
18	Mnrega	C/o Water tank Baldev Sharma s/o Sarwan Ram land -1		214(29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	6.42	1.52	9.75	80	780.00
19	Mnrega	C/o Water tank Sunil Kumar s/o Brahm Dutt land -2		215 (29/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	1.72	1.52	2.61	80	209.00
20	15th FC	C/o Sampark marg Fouju Ram H./to Link road ward-4		056(10/04/2022	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	14.72	1.52	22.37	80	1790.00
						Sand	15.4	1.62	24.94	80	1995.00
21	15th FC	C/o Sampark marg Banshi Lal H./to Babdi towards-1		058(10/04/2022	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	14.58	1.52	22.16	80	1773.00
						Sand	15.4	1.62	24.94	80	1995.00
22	15th FC	C/o Sampark marg School to Shamshan ghat-5		092(22/07/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	4.81	1.52	7.31	80	549.00
						Sand	14.16	1.62	22.93	80	1834.00
23	15th FC	C/o Drain/path Narottam lal house ward-1		104(05/10/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	3.7	1.52	5.62	80	450.00
						Sand	3.65	1.62	5.91	80	473.00
						Boulder	3.96	2.24	8.87	80	710.00
24	15th FC	C/o Remp/Road Police chouki jahu-6		107(05/11/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	2.83	1.52	4.3	80	344.00
						Sand	15.51	1.62	25.12	80	2010.00
25	15th FC	R/o Well Shankari Devi w/o Nath Ram land -5		166(02/04/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Sand	9.62	1.62	15.58	80	1246.00
26	15th FC	C/o Sampark marg main road NH to Hans Raj house-1		167(25/05/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	6.79	1.52	10.32	80	826.00
						Sand	8.49	1.62	13.75	80	1100.00
27	15th FC	C/o Sampark marg/Path Salochana Devi H./to Ram Krishan-5		183(10/07/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	3.73	1.52	5.66	80	453.00
						Sand	2.94	1.62	4.76	80	381.00
28	15th FC	C/o Sampark marg Santosh Kumar H/to Durga Charan -5		179(02/07/2023	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	4.53	1.52	6.88	80	550.00
						Sand	8.49	1.62	12.65	80	1012.00
29	15th FC	C/o Sampark marg GPS Jahu to Sunka Ram house-4		142(23/03/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	6.85	1.52	10.41	80	833.00
				206(04/11/2023)		Sand	7.25	1.62	11.74	80	139.00
						Boulder	38.51	2.24	86.26	80	6901.00
30	15th FC	C/o Drain/r/o Path ward-4 jahu		135(03/03/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	3.76	1.52	5.71	80	457.00
						Sand	2.88	1.62	4.66	80	373.00

25

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

25

						Boulder	0.59	2.24	1.32	80	106.00
31	15th FC	C/o Drain/Sampark marg OBC basti Prakash Chand H/to Vir Sing-4		226(04/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	13.14	1.52	19.97	80	1598.00
						Sand	9.17	1.62	14.85	80	1188.00
						Boulder	9.06	2.24	20.29	80	1623.00
32	15th FC	C/o Shamshan Ghat ward-9		227(04/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	8.49	1.52	12.9	80	1032.00
						Boulder	19.82	2.24	22.39	80	1791.00
33	15th FC	C/o sampark marg Nisha Devi field to Shamshan ghat -5		229(30/12/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	23.5	1.52	35.72	80	2858.00
						Sand	20.24	1.62	32.78	80	2622.00
34	15th FC	C/o Path Ran Singh field to Shamshan ghat towards-3		234(12/03/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	1.44	1.52	2.18	80	174.00
						Sand	1.41	1.62	2.28	80	182.00
35	14 th FC	Panchayat Ghar jahu		094(31/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	2.83	1.52	4.3	80	344.00
						Sand	5.32	1.62	8.61	80	689.00
36	14 th FC	Boundary wall Panchayat Ghar		95(31/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	2.09	1.52	3.17	80	254.00
						Sand	2.18	1.62	3.53	80	282.00
37	14 th FC	Tiles Panchayat Ghar jahu		096(31/05/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Sand	4.78	1.62	7.74	80	619.00
38	14 th FC	C/o Sampark marg Rattan Chand H./to Ram Krishan house-5		110(15/11/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	25.14	1.52	38.21	80	3057.00
				111(18/11/2022)		Sand	29.51	1.62	47.8	80	3842.00
39	14 th FC	C/o Well Shamshan ghat ward-5/6		126(23/01/2023)	M/s Sharma Material Supplier	Sand	21.6	1.52	32.83	90	2626.00
				127(23/01/2023)		**Boulder**	53.21	2.24	119.19	80	9535.00
40	14 th FC	Play Ground near Pump house		117(29/12/2022)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	12.31	1.52	18.71	80	1497.00
						Sand	6.51	1.62	10.54	80	843.00
						Boulder	2.4	2.24	5.37	80	430.00
41	14 th FC	C/o Sampark marg PHC Jahu to Ishwar Dass house towards-5		232(01/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	7.75	1.52	11.78	80	942.00
						Sand	18.43	1.62	29.85	80	2388.00
42	14 th FC	C/o Path Bidhi Chand land to Joginder Singh H./ towards-7		233(01/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	2.74	1.52	4.16	80	333.00
						Sand	5.66	1.62	9.16	80	733.00
43	14 th FC	C/o Bhawan Meva Utsav (Mela) Jahu-6		235(05/02/2024)	M/s Sharma Material Supplier	Aggrigate	36.81	1.52	9.16	80	733.00
				236(07/03/2024)		Sand	25.2	1.62	40.82	80	3266.00
				Total							**97437.00**

26

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

25

Annaxure 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

(GST/TDS) की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	TDS योग्य राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01/04/2022 TO 31/03/2023	Sharma Material supplier, vpo jahu, bhoranj, Hamirpur	SAND, AGG, BOULDER, BRICKS Shurtting	1011514.00	1011514.00	20230.28
		Sai Flowers Tiles vpo majhog, sultani,hamirur	Paver Blocks and Tiles	753815.00	753815.00	15076.30
2	01/04/2023 TO 31/03/2024	Sharma Material supplier, vpo jahu, bhoranj, Hamirpur	Wash SAND Crusher, Sand crusher, BOULDER, Stone, Shutttering	2084352.00	2084352.00	41687.04
		Sai Flowers Tiles vpo majhog, sultani,hamirur	Paver Blocks and Tiles	578430.00	578430.00	11568.60
Total						88562.22

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

27

Annaxure 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत- जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर,

मनरेगा शीर्ष में अधिक भुगतान करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि ₹	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि ₹	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि ₹
1	C/o Spur in the land of Baldev chand s/o choudhary ram ward no 9	Mastrol no-(875,3595,5119,5309,5619) Labour Paid-(1696+13000+8800+18232+15645) =57373x 2/3=38248	Iron, aggrigate	42480.00	38248.00	4232.00
2	C/o Danga near the House of Nand lal s/o Desh raj, ward no 6	Mastrol no-(2106) Labour Paid-(16900) =16900 x 2/3=11266	Sand, aggrigate Cement	11933.00	11266.00	667.00
	Total					4899.00

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

Annaxure 7 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

पत्थर की खरीद में रिक्तियों (voids) की कटौती न करने वारे (चयनित माह 03/23 और 02/24)

क्रम संख्या	वाउचर/ बिल संख्या	दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (CFT)	मूल्य दर (CFT)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids)(₹)
1	104	Oct-22	M/s Sharma Materials Supplier, jahu, hamirpur	Boulder	140	30	4200	12.5	525.00
2	142	Nov-22	M/s Sharma Materials Supplier, jahu, hamirpur	Boulder	980	30	29400	12.5	3675.00
3	227	Feb-24	M/s Sharma Materials Supplier, jahu, hamirpur	Boulder	700	34.5	24150	12.5	3018.75
4	127	Jan-23	M/s Sharma Materials Supplier, jahu, hamirpur	Boulder	400	30	12000	12.5	1500.00
Total							**69750**		**8718.75**

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhorani, Distt Hamirpur (H.P.)

29

28

Annaxure 8 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)
(चयनित माह 03/23 और 02/24

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	mnrega	c/o spur reenu kumari field towards nirmla land ward no 6	205 02/24	HP Agro industries co.ltd hamirpur	GI wire	87900.00
2	mnrega	c/o cow shed shankri devi ward no 5	211 02/24	sharma material supplier vpo jaahu, bhoranj	bricks	27600.00
3	mnrega	c/o sampark marg santosh kumar house toward durga charan house ward no 5	159 02/24	sai flowers tiles, vpo manjhog, bhoranj,	paver blocks	5065.00
4	mnrega	c/o sampark marg mustaak khan house towards 132kv	192158 02/24	HPSCS banbny, bhoranj	cement	55924.00
5	mnrega	c/o Rain harvesting tank land of joginder pal ward no 1	192159 02/24	HPSCS banbny, bhoranj	cement	21237.00
Total						**197726.00**

Secretary
Gram Panchyat Janu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

Annaxure 9 पैरा संख्या 9.6 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर,

औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 03/23 और 02/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own sources	gram panchayat exp.	82	55 01/23	Ravindra electrical jaahu, sulgaan, bhoranj	sound system	12500.00
2	14FC	c/o panchayat ghar jaahu	52	312 03/23	Sanjeev kumar painter , sulgwan, bhoranj	writin work	12000.00
3	14FC	c/o shamshaan ghat ward no 7	52	685 03/23	Om furniture, vpo jaahu, bhoranj	iron materials	24820.00
4	14FC	c/o panchayat ghar jaahu	54	404,407 03/23	M/s jai ganesh light house, jaahu, bhoranj	electricity materials	28285.00
5	14FC	c/o panchayat ghar jaahu	57	295 03/23	KK & co. sulgwan, jaahu, bhoranj	hardware items	24552.00
6	14FC	c/o panchayat ghar jaahu	24	426,427 02/24	KK & co. sulgwan, jaahu, bhoranj	TMT iron	122387.00
7	Watershed	c/o boudi, jaahu khurd, bhoranj	6	316 2/23	Ramesh chand & Bro. sulgwan, jaahu	TMT iron	21401.00
8	15FC	c/o mokshdhaam ward no 3	31	345,346 01/24	KK & co. sulgwan, jaahu, bhoranj	TMT iron	37400.00
9	SBM	c/o warmikampost ward no 1	3	0070 06/22	KK & co. sulgwan, jaahu, bhoranj	iron materials	96092.00
			Total				379437.00

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)

31

30

Annaxure 10 पैरा संख्या 9.7 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जाहू, विकास खंड भोरंज, जिला हमीरपुर,

विना बिल के किया गया भुगतान (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 03/23 और 02/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	watershed	c/o water drain (पानी नाली) ward no 1	carriage	75000.00
2	15FC	sholar light GP jaahu	lights	283504.00
Total				**358504.00**

Secretary
Gram Panchyat Jahu
Block Bhoranj, Distt Hamirpur (H.P.)